

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
मार्गदर्शिका

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

1. पृष्ठभूमि :-

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएँ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन तथा उपयोगी पुस्तक एवं पठन-पाठन सामग्री क्रय करने में सक्षम नहीं रहते हैं।

2. योजना :-

सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1140 दिनांक-10.05.2018 द्वारा "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50,000/- (पचास हजार रु०) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (एक लाख रु०) का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

3. उद्देश्य :-

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को, अग्रतर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।

4. अर्हता एवं शर्तें:-

- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- (iii) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा/संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
- (v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया:-

- (i) विभागीय अधिसूचित पोर्टल पर अभ्यर्थी के द्वारा विभाग से निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे।
- (ii) अभ्यर्थी के पास ईमेल आई-डी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ईमेल आई-डी पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने ईमेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई-मेल नियमित रूप से देखते रहने की अपेक्षा की जाती है।
- (iii) ऑन-लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करनी होंगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
- (iv) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

6. निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा:-


- (i) फोटो
- (ii) हस्ताक्षर
- (iii) एडमिट कार्ड
- (iv) जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार स्तर)
- (v) आधार कार्ड
- (vi) आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार स्तर)
- (vii) बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक
- (viii) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गए अन्य अभिलेख/प्रमाण-पत्र आदि।

7. भुगतान की प्रक्रिया :-

- (i) इस योजना का कार्यान्वयन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा।
- (ii) निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन की संबंधित आयोग से प्राप्त हार्ड कॉपी/साफ्ट कॉपी की जाँच करने के पश्चात् त्रुटिरहित समेकित सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थियों के खाते में राशि अंतरित करने हेतु विभाग के स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता संधारित किया जाएगा।
- (iv) सत्यापित सूची के आधार पर विभाग के स्तर पर संधारित खाता से राशि का अंतरण अभ्यर्थी के खाता में ऑनलाईन किया जाएगा।


8. अन्य :-

- (i) समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं।


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18

प्रतिलिपि:- सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18

प्रतिलिपि:- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18

प्रतिलिपि:-सभी विभागीय पदाधिकारियों/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776पटना, दिनांक- 20.07.18


प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776 पटना, दिनांक- 20.07.18
प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (NIC), पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 20.07.18

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्रवृत्ति)200-27/2018-1776 पटना, दिनांक- 20.07.18
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव। 20.07.18